:: अधिसूचना ::

शासन द्वारा साईकिल सहायता योजनान्तर्गत निर्गत अपने पूर्व आदेश 1236/छत्तीस–2–13–191/2012 दिनांक–11.07.2013 को निरस्त करते हुए अपने हुए आदेश / अनापत्ति संख्या–870/छत्तीस–2–14–191/2012 दिनांक 11.07.2014 जो कि आदेश संख्या –969/छत्तीस–2–14–191/2012 दिनांक 21.07.2014 द्वारा संशोधित किया गया के क्रम में बोर्ड के माध्यम से संचालित **''साइकिल सहायता योजना''** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है–

1. प्रस्तर 3(1 पात्रता) :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में कम से कम छः माह से पंजीकृत हों।
2. प्रस्तर 5(2)हितलाभ :– बोर्ड द्वारा साइकिल क्रय हेतु मात्र रू0 3000/– का ही भुगतान सब्सिडी के रूप में किया जायेगा। शष धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा ही देय होगा।
3. साइकिल के क्रय की प्रक्रिया :– साइकिलों के क्रय हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत एक समिति गठित कर दी जाये:
    1. जिलाधिकारी अध्यक्ष,
    2. अपर/उप श्रमायुक्त, सदस्य/ सचिव,
    3. सहायता श्रमायुक्त या सहायक श्रमायुक्त के तैनात न होने की दशा में वरिष्ठतम श्रम प्रवर्तन अधिकारी सदस्य होगे।

उक्त समिति जनपद में उपलब्ध ब्राण्डेड साइकिलों में से अच्छी गुणवत्ता की साइकिलों कों चिन्हित करेगी तथा श्रमिक चिन्हित साइकिलों की कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से स्वेच्छा से साइकिल क्रय करेगा। साइकिल का वितरण मेला लगाकर किये जाने की स्थिति में डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा मेला सील पर ही साइकिलों की आपूर्ति की जायेगी।

तदनुसार एतद्एवं संशोधित साइकिल सहायता योजना अधिसूचित की जाती है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(के0के पुरवार)
सचिव, बोर्ड।

<u>कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ,उ0प्र0।</u>

पंत्राक–4957–64 /भ0नि0बो(335)–2014 दिनांक–22.07.2014

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेशत करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।

7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–870/36–2–14–191/2012, दिनांक 11.07.2014 क्रम में सूचनार्थ।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड